भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *189

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक

*189. श्री जी.एस. बसवराजः

प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़े हाल के बैंकिंग घोटाले के फलस्वरूप सरकार बैंकिंग संस्थाओं में जनता का विश्वास पुनः बहाल करने के लिए डिपॉजिट इन्श्यूरेन्स सेगमेंट पर पुनर्विचार करने के लिये प्रेरित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच भारत में प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में डिपॉजिट इन्श्यूरेन्स कवर सबसे कम है जो वर्तमान में 0.9 गुणा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान डिपॉजिट इन्श्यूरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ने डिपॉजिट इन्श्यूरेंस कवर पर प्रीमियम के रूप में 12,043 करोड़ रु. की राशि संग्रहीत की है तथा एक विफल हुए सहकारी बैंक के मामले में मात्र 37 करोड़ रुपये की राशि के दावों का ही निपटारा किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बैंक के खुदरा/आम ग्राहकों को राहत पहुंचाने हेतु सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक' के संबंध में श्री जी.एस. बसवराज और प्रो. रीता बहुगुणा जोशी द्वारा पूछे गए 02 दिसम्बर, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *189 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, निगम द्वारा निर्धारित सीमा तक बैंक जमाराशि के लिए बीमा उपलब्ध कराता है। उक्त अधिनियम की धारा 16(1) में यह उपबंध किया गया है कि निगम अपनी वित्तीय स्थिति तथा समग्र रूप से देश की बैंकिंग प्रणाली के हित में किसी बैंक में किसी जमाकर्ता की जमाराशि के संबंध में देय ऐसी राशि की वित्तीय सीमा को समय-समय पर बढ़ा सकता है। तदनुसार, किसी जमाकर्ता को देय राशि की बीमा सीमा को आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित गया, जैसे वर्ष 1961 में इसकी आरंभिक सीमा 1,500 रुपए थी, जिसे 1 मई, 1993 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया।

इस समय (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) डीआईसीजीसी द्वारा 92% जमा खाते तथा 28% जमाराशि को कवर किया गया है। यह सीमा इन्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर डिपॉजिट इंश्योरेन्स (आईएडीआई) के दिशानिर्देशों से अधिक है, जो 80% खातों तथा 20-30% जमाराशि को कवर करने की सिफारिश करता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति आय का निक्षेप बीमा कवर 0.8% है, जो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। ब्रिक्स देशों के निक्षेप बीमा कवरेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	**देश**	**डीआई कवर (यूएसडी)**	**प्रति व्यक्ति आय (यूएसडी**	**डीआई कवर/ पीसीआई**
1	ब्राजील	75,588	8,920	8.5
2	रूस	24,306	11,288	2.2
3	भारत (मार्च, 2019)	1,407	1,828	0.8
4	चीन	72,690	9,770	7.4
5	दक्षिण अफ्रीका (डीआईएस स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है)	-	6,374	-
*: डीआईएस- निक्षेप बीमा प्रणाली स्रोतः आईएडीआई, विश्व बैंक डेटाबेस और संबंधित निक्षेप बीमा एजेन्सियों की वेबसाइट				

परिसमाप्त बैंकों के दावों का निपटान डीआईसीजीसी करता है। डीआईसीजीसी द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्रित कुल प्रीमियम 12,040 करोड़ रुपए है। बैंकों द्वारा एकत्रित प्रीमियम का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	**2018-19**
1	प्राप्त प्रीमियम - वाणिज्यिक बैंक	11,190
2	प्राप्त प्रीमियम - सहकारी बैंक	850
3	कुल (वाणिज्यिक + सहकारी बैंक)	12,040

वर्ष 2018-19 के दौरान निगम की त्वरित दावा निपटान नीति के अंतर्गत 3.05 करोड़ रुपए (दो सहकारी बैंकों के कारण) की राशि सहित 15 सहकारी बैंकों के कुल 40 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया गया।

आरबीआई ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- बैंक को एनपीए/अशोध्य ऋणों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति में सुधार लाने में सक्षम बनाने हेतु आरबीआई ने 23 सितम्बर, 2019 को कारोबार समाप्त होने से लेकर छः माह तक की अवधि के लिए समग्र निदेश अधिरोपित किए हैं, जिसके अंतर्गत बैंक को नए ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है। जमाकर्ताओं द्वारा आहरण को एक निर्धारित राशि तक सीमित किया गया है ताकि बैंक संकट में न पड़ जाए। इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक निर्धारित सीमा से अधिक जमाराशि के भुगतान और बढ़ते दायित्वों को नियंत्रित किया गया है ताकि जमाराशि के अधिमान्य भुगतान की संभावना न रहे एवं व्यवस्था क्रम भंग आदि के दौरान अविवेकपूर्ण उधार देने पर रोक लग सके। बैंक को किसी भुगतान/व्यय, जिसके लिए इन निदेशों के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गयी है, के लिए भी आरबीआई से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है, ताकि जमाकर्ताओं की जमाराशि को अपव्यय से बचाया जा सके और केवल उत्पादक/उपयोगी प्रयोजन हेतु ही इसकी अनुमति दी जा सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की नकदी की स्थिति तथा जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा करने के पश्चात तथा बैंक के जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से ऐसे आहरणों को समय-समय पर उत्तरोत्तर बढ़ाता रहा है। इस समय आहरण की सीमा 50,000 रुपए है, जो कि 5 नवम्बर, 2019 से प्रभावी है। अद्यतन छूट के साथ बैंक के लगभग 78% जमाकर्ता अपनी संपूर्ण जमाराशि आहरित कर सकते हैं। आहरण की सीमा की निगरानी सामने आ रहे बैंक के जमाकर्ता तथा नकदी प्रोफाइल की तुलना में की जा रही है और बैंक के जमाकर्ताओं के बेहतर हित में, जैसा भी उचित हो, आगे समुचित कार्रवाई की जा सकती है।
- इसके अलावा, जमाकर्ता समस्या (चिकित्सा व्यय तथा अपने या अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय, अपने तथा अन्य संबंधियों की शादी पर व्यय जैसे गैर-चिकित्सा व्यय तथा आजीविका) के आधार पर 1 लाख रुपए (सभी गैर-चिकित्सीय आधार पर 50,000 रुपए आहरण की उप-सीमा के साथ) तक की राशि आहरित कर सकते हैं। ऐसे मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए समस्या के आधार पर ऐसे आहरणों को स्वीकृत करने का अधिकार बैंक के प्रशासक को दिया गया है।

इसी बीच बैंक द्वारा धोखाधड़ी/वित्तीय अनियमितताओं तथा बैंक की खाता-बही में छेड़छाड़ करने में लिप्त अपने अधिकारियों तथा उधारकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा, महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच आरंभ कर दी है। संबद्ध लेन-देनों की जांच करने के लिए फोरेंसिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

*****